राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1455/2013

श्रीमती संगीता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक (माध्यमिक), जयपुर जोन, जयपुर।
3. दिनेश यादव व्याख्याता, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, नीमराणा, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.09.2013
आदेश की दिनांक : 08.12.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.05.2013 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को व्याख्याता भूगोल के पद पर पदोन्नत किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति प्रदान की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 13.10.1994 के द्वारा हुई थी और अपीलार्थी बीएससी, बी.एड. योग्यताधारी है। अपीलार्थी ने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर योग्यता अर्जित की, जिसे सेवा पुस्तिका में आदेश दिनांक 03.05.2001 के द्वारा दर्ज कराया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2011 में भी भूगोल विषय में स्नातकोत्तर योग्यता अर्जित की। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 20.05.2013 जानबूझकर देरी से जारी किया गया क्योंकि दिनांक 09.05.2013 को विभाग द्वारा स्कूल व्याख्याता भूगोल के पद के लिए डीपीसी आयोजित की जानी थी और उक्त पद के लिए रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें

अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को आदेश दिनांक 22.05.2013 के द्वारा उक्त पद पर पदोन्नत कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया गया उक्त कृत्य नियम एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.05.2013 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि जिस तिथी से अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को व्याख्याता भूगोल के पद पर पदोन्नत किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने एम.ए. इतिहास योग्यता विभाग के समक्ष दर्ज करा रखी है न कि एमएससी भूगोल। इसलिए स्कूल व्याख्याता भूगोल की पदोन्नति डीपीसी में कंसीडर नहीं किया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 1995 में इतिहास से एम.ए. किया था और राज्य स्तर पर वरिष्ठता क्रमांक 908/1992–93 व मण्डल स्तर पर 57/1994–95 है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011 में एमएससी योग्यता उत्तीर्ण की गई और इस प्रकार अपीलार्थी के अभ्यावेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा इतिहास में एम.ए. योग्यता दर्ज होने के कारण अपीलार्थी को कंसीडर नहीं किया गया जो कि अपीलार्थी को व्याख्याता इतिहास की पदोन्नति के समय कंसीडर कर लिया जावेगा। अपीलार्थी द्वारा एमएससी भूगोल की योग्यता मण्डल स्तर की वरिष्ठता सूची एवं राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में दर्ज नहीं करवाई गई है और जिस दिन से अपीलार्थी विभाग में योग्यता अभिवृद्धि दर्ज करवाएगी, इसके पश्चात् नियमानुसार पात्र होने पर होने वाली पदोन्नति में विचार कर लिया जावेगा। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 13.10.1994 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी ने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर योग्यता अर्जित की, जिसे सेवा पुस्तिका में आदेश दिनांक 03.05.2001 के द्वारा दर्ज कराया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 2011 में भी भूगोल विषय में स्नातकोत्तर योग्यता अर्जित

की। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध स्कूल व्याख्याता भूगोल के पद के लिए डीपीसी आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को आदेश दिनांक 22.05.2013 के द्वारा उक्त पद पर पदोन्नत कर दिया गया, जबकि अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। जहां तक अपीलार्थी को उक्त रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध स्कूल व्याख्याता भूगोल के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 1995 में इतिहास में एम.ए. की योग्यता अर्जित की गई और वर्ष 2011 में भूगोल में एम.ए. की योग्यता अपीलार्थी द्वारा अर्जित की गई। जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त भूगोल की योग्यता सेवा पुस्तिका में दर्ज करवाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी द्वारा उक्त एम.ए. भूगोल की योग्यता उत्तीर्ण होने की कोई सूचना विभाग को सेवा पुस्तिका में दर्ज कराने हेतु दी गई हो। सेवा पुस्तिका में उक्त योग्यता दर्ज नहीं होने के कारण अपीलार्थी के नाम पर स्कूल व्याख्याता भूगोल विषय के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध विचार नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य